संख्या-10/2016/547/क0नि0प्र0/26-3-16-6(34)/2006

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 27 मई,2016
समाज कल्याण विभाग

विषय:- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-218/लेखा अनुभाग/2016-17 दिनांक 12 मई,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रथम किश्त रू0 6,75,80,000.00 (रू0 छ: करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथासमय उपलब्ध कराये जायेगें। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या'83-समाज कल्याण विभाग (अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कलयाण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0106-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वत: रोजगार योजनाओं में अनुदान (100 प्रतिशत भारत सरकार)'-20-अनुदान-सहायता अनुदान-समान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1/746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या-10/2016/547(1)/क.नि.प्र./26-3-2016 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग'3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।